


LG

**कार्यालय नगर परिषद सासाराम।**

संचिका सं० P-2-14 (आंकेक्षण)

पत्रांक 1587 / न०प०



प्रेषक,

नगर कार्यपालक पदाधिकारी,  
नगर परिषद, सासाराम।

सेवा में,

महालेखाकार,  
स्थानीय लेखा परीक्षा प्रभाग,  
महालेखाकार कार्यालय,  
बिहार, पटना।

सासाराम, दिनांक 24.7.2014

विषय - आंकेक्षण प्रतिवेदन सं० 548/2012-13 (अवधि 2010-11 एवं 2011-12) का अनुपालन प्रतिवेदन।

प्रसंग :- पत्रांक एल०ए०/एस० एस०-1/श० स्था० नि०/14375/1337 दिनांक- 18.09.2013

महाशय,  
उपर्युक्त विषयक एवं प्रसंग में आंकेक्षण प्रतिवेदन सं० 548/2012-13 (अवधि 2010-11 एवं 2011-12) तक के लिए आंकेक्षण रिपोर्ट का अनुपालन प्रतिवेदन कंडिकावार संलग्न कर भेजा जा रहा है।

अतः कृपया प्राप्ति स्वीकार करने की कृपा की जाय।

अनुलग्नक - यथा उपरोक्त अनुपालन प्रतिवेदन।

विश्वासभाजन,

नगर कार्यपालक पदाधिकारी,  
नगर परिषद, सासाराम।

ज्ञापांक 1587 दिनांक 24.7.2014

प्रतिलिपि - जिला पदाधिकारी, रोहतास को अनुलग्नक के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि ✓ सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को अनुलग्नक के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

नगर कार्यपालक पदाधिकारी,  
नगर परिषद, सासाराम।

5222 (gen)  
28/7/14

40/11  
111  
01/08/14

पत्रांक - 7  
30.07.14  
30/7/14  
30/7/14

## सासाराम नगर परिषद

आंकेक्षण प्रतिवेदन सं०- 548 /2012-13 का अनुपालन प्रतिवेदन (अवधि - 2010-11 से 2011-12)

कंडिका		अनुपालन प्रतिवेदन
कंडिका सं० - 1 ✓	Intorduction	कोई टिप्पणी नहीं की गई।
कंडिका सं० - 2 ✓	Administration	कोई टिप्पणी नहीं की गई।
कंडिका सं० - 3	Scope of Audit	<p>प्रतिवेदन के विवरणी (1) में अंकित सभी रजिस्टर, अभिलेख आदि आंकेक्षण दल के समक्ष उपस्थापित किया गया था। विवरण (1A) में दर्शाये गये अभिलेख संचिका में से अनुदान का उपयोगिता प्रमाण-पत्र म्यूटेशन पंजी सेवा पुस्तिका आदि संधारित है। शेष पंजियों के संधारण हेतु अनुपालन प्रारम्भ कर दिया गया है।</p> <p>अतः आंकेक्षण आपत्ति कृपया समाप्त किया जाय।</p>
कंडिका सं० - 4 ✓	Internal Audit	<p>नगर परिषद के कार्यों का क्रियान्वयन तथा भुगतान आदि कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा जॉयोपरान्त ही की जाती है। तथापि सरकार द्वारा प्रतिनियुक्त आन्तरिक आंकेक्षण चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा वर्ष 2013-14 के आन्तरिक आंकेक्षण का कार्य किया जा रहा है। इस प्रकार Internal Audit के सुझाव का अनुपालन प्रारम्भ कर दिया गया है।</p> <p>अतः आंकेक्षण आपत्ति कृपया समाप्त किया जाय।</p>
कंडिका सं० - 5 ✓	Budget	<p>बजट तैयार करने की प्रक्रिया समय से प्रारम्भ की जाती है। परन्तु अन्यत्र कार्यों के चलते या बोर्ड की बैठक समय पर नहीं हो पाने के कारण बजट की स्वीकृति में कुछ विलम्ब हो जाता है। भविष्य में इसका ध्यान रखा जायेगा।</p> <p>बजट प्रारूप नगर परिषद के आन्तरिक संसाधन तथा सरकार से मिलने वाले अनुदान की राशि को दृष्टिकोण से अनुमानित बजट तैयार किया जाता है ताकि राशि प्राप्त होने पर बजट में पर्याप्त प्रावधान के तहत कार्य कराया जा सके तथापि आंकेक्षण के सुझावों का अनुपालन गुनिश्चित किया जायेगा।</p>

कड़िका सं0 - 6	(A) Over view -	
	(i) PL Account -	कोई टिप्पणी नहीं। लेखा Reconciled है। अतः आंकेक्षण आपत्ति कृपया समाप्त किया जाय।
	(ii) A/N 9394	कोई टिप्पणी नहीं। खाता दिनांक 06.02.12 से बन्द कर दिया गया।
	(iii) Co-operative Bank	संबंधित खाता दिनांक 21.03.2012 से समाप्त कर दिया गया है। खाता में दर्शाये गये शेष राशि 14314 में से 9389.00 रुपये नगर परिषद कोष के सहायक खाता में जमा कर दिया गया है। 14314.00 - 9389.00 = 4925.00 रुपये का अन्तर पूर्व से है। पूर्व के अभिलेख नहीं मिलने के कारण खाता Reconciled नहीं हो सका है।
	(iv) Staff Pension Fund)	कोई टिप्पणी नहीं लेखा Reconciled है।
	(v) नगर परिषद कोष सहायक खाता (SBI A/C)	खाता Reconciled हो गया है। अगले आंकेक्षण के समक्ष उपस्थापित किया जायेगा।
	(B) B.R.G.F	
	(i) केनरा बैंक खाता	कोई टिप्पणी नहीं लेखा Reconciled है।
	(ii) Bank of India Account	खाता Reconciled हो गया है। अगले आंकेक्षण के समक्ष उपस्थापित किया जायेगा। बैंक ऑफ इन्डिया द्वारा 2010-11 में ब्याज की राशि क्रेडिट नहीं करने के तरफ मौखिक रूप से बैंक का ध्यान आकृष्ट करने के क्रम में बताया गया कि पूर्व से खाता ब्याज रहित खोला गया था। 2011-12 से ब्याज क्रेडिट हो रहा है। संबंधित खाता बी0आर0जी0एफ0 का खाता केनरा बैंक में खुलने के कारण बन्द कर दिया गया है।
	(C) S.J.S.R.Y	खाता Reconciled हो गया है। अगले आंकेक्षण के समक्ष उपस्थापित किया जायेगा।
	(D) N.S.D.P	कोई टिप्पणी नहीं खाता Reconciled है।
कड़िका सं0 - 7	Position of Grant -	आंकेक्षण टिप्पणी बिन्दु 1, 2, 3, 4, 5 :- वित्तीय वर्ष के अन्त में प्राप्त होने वाले अनुदान उसी वित्तीय वर्ष में व्यय नहीं हो पाते हैं। वर्ष 2010-11 एवं 2011-12 के शेष अनुदान की राशि वर्ष 2012-13 एवं 13-14 में व्यय कर लिया गया है जिसका उपयोगिता प्रमाण-पत्र भी समर्पित कर दिया गया है।

कडिका सं० - 8	Demand & Collection -	अतः आंकेक्षण आपत्ति कृपया समाप्त किया जाय। डिमांड एवं कॉलेक्शन पंजी अद्यतन तैयार करने का आदेश कर दारोगा को पत्रांक 1542 दिनांक 17.07.2014 से निर्गत किया गया है। नगर परिषद कर की वसूली के लिए प्रभावी कदम उठाये गये हैं तथा वसूली में वांछित प्रगति हुई है।
कडिका सं० - 9	Non-remittance of Education cess and Health cess	स्वास्थ्य सेस एवं शिक्षा सेस की राशि सरकारी कोष में जमा करने के संबंध में प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष रखा जायेगा। स्वीकृति के उपरान्त राशि सरकारी कोष में जमा करने की कार्रवाई की जायेगी।
कडिका सं० - 10	Heavy out standing of trad and license fee	ट्रेड टैक्स की वसूली के लिए कदम उठाये गये हैं। अनुपालन सुनिश्चित किया जा रहा है।
कडिका सं० - 11	Collection Account	वर्णित कलेक्शन की राशि 255942.00 (दो लाख पचपन हजार नौ सौ बेयातीस) रुपये चालान द्वारा कोषागार में जमा कर दिया गया है। जिसकी प्रविष्टि कैशबुक में अंकित है। अगले अंकेक्षण के समक्ष उपस्थापित किया जायेगा।
-	(B) Short Collection of Penalty	मात्र 39883.00 (उत्तालीस हजार आठ सौ रिरासी रुपये Penalty की कम वसूली राशि जमा करने हेतु कार्यालय पत्रांक 1539 दिनांक 17.03.2014 से संबंधित कर दारोगा श्री रविन्द्र पांडेय को सूचना दी गई है। राशि जमा काराकर अगले आंकेक्षण के समक्ष उपस्थापित किया जायेगा।
-	(C) Non Deposit of Collection made from water tank (tap)	Water tax की कम वसूली 12150/- रुपये नगर परिषद कोष के सहायक खाता 11133930182 में जमा कर दिया गया है। जिसकी प्रविष्टि कैशबुक के प्राप्ती भाग एवं पासबुक में दर्ज हो गया है। अतः आंकेक्षण आपत्ति समाप्त किया जाय।
-	(D) Non Deposit of Collection made against voter ID card	34825.00 (चौतीस हजार आठ सौ पचीस रुपये) P/L Account में जमा है। कोषागार पासबुक अगले आंकेक्षण के समक्ष उपस्थापित किया जायेगा। अतः आंकेक्षण आपत्ति समाप्त किया जाय।
-	(E) Holding Tax deposit untraced	रसीद सं०- 9886 से 9893 एवं 5509 से 5513 की वसूली राशि कुल 67688.00 (सड़सठ हजार छः सौ अठारसी) रुपये SBI खाता 11133930182 में जमा कर दिया गया है। जिसकी प्रविष्टि कैशबुक एवं पास बुक में दर्ज है। अगले आंकेक्षण के समक्ष उपस्थापित किया जायेगा।

	(F) Receipt Issued after 4 month from deposit	79477.00 रुपया से संबंधित चेक प्राप्ती की पावती संबंधित विभाग को दे दिया गया था तथा राशि बैंक खाता में जमा कर दिया गया। भूल से रसीद निर्गत में विलम्ब हुआ। इस प्रथा को अब समाप्त कर दिया गया है। अतः आंकेक्षण आपत्ति समाप्त किया जाय।
	(G) Non Deposit of Fish tax (Rs. 6150.00)	6150.00 रुपया 04.01.2013 को जमा कर दिया गया है जिसकी प्रविष्टि कैशियर केशबुक में अंकित है। राशि चालान से PL Account में जमा हो गया है। Trezory Pass Book अगले आंकेक्षण में प्रस्तुत किया जायेगा।
	(H) Non Collection/deduction of stop payment Charge	राशि 150.00 रुपया संबंधित संवेदक द्वारा BRGF के केनरा बैंक खाता में जमा करने हेतु कार्यालय पत्रांक 1540 दिनांक 17.07.2014 से संबंधित संवेदक श्री अशोक कुमार को सूचित किया गया है। राशि जमा कराकर अगले आंकेक्षण के समक्ष उपस्थापित किया जायेगा।
	(I) Deposit of Rs. 8164.00 in PL Account untraced	राशि 8164.00 रुपया चालान नं० 5/8.05.2010 द्वारा PL खाता में जमा है। इस राशि को नगर परिषद कोष में जमा नहीं होने के संबंध में पत्रांक 2279 दिनांक 20.12.2012 से भारतीय स्टेट बैंक से वस्तु स्थिति की जानकारी मांगी गई थी, परन्तु बैंक द्वारा इसकी जानकारी नहीं दी गई है। पुनः कोषागार बैंक को चालान की प्रति संलग्न करते हुए राशि नगर परिषद कोष में जमा करने हेतु अनुरोध किया गया है।
	(J) Less realization/Deposit of Holding tax	राशि MR No. 8625 से दिनांक 29.12.2012 से जमा हो गया है जिसे चालान द्वारा पी0एल0 खाता में जमा कर दिया गया है जिसकी प्रविष्टि कैशियर केशबुक के (12-13) में अंकित है। कोषागार पासबुक अगले आंकेक्षण के समक्ष उपस्थापित किया जायेगा।
	(K) Sulabh Shawchhalaya at Bus Stand	वर्ष 2013-14 से सुलभ शौचालय की बन्दोबस्ती वसूली हेतु खुले डांक से प्रारम्भ की गई है तथा राशि एक मुस्त नगर परिषद कोष में जमा हो जाता है। पूर्व के स्थापित वसूली व्यवस्था बन्द कर दिया गया है। अतः आंकेक्षण आपत्ति कृपया समाप्त किया जाय।
कड़िका सं० - 12	Sairat (Sellesment Account) (A) Loss of Govt. Revenue due to agreement not	वर्ष 2010-11 में निबंधन शुल्क वसूली संबंधी सरकारी पत्र उपलब्ध नहीं रहने के कारण मुद्रांक शुल्क नहीं लिया जा सका वर्ष 2008-09 एवं 2009-10 के लेखा आंकेक्षण के समय स्टाम्प शुल्क की वसूली करने